न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 06/20

1. रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति ठाकुर निवासी हरजूपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. साधना पत्नी गुमानसिंह जाति ठाकुर निवासी हरजूपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....................................अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी राधेश्याम मीना आर.ए.एस.

वकील प्रार्थी – श्री राजवीरसिंह एडवोकेट

वकील अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

निर्णय   दिनांक 29.01.2021

हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्राथीगण रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति ठाकुर निवासी हरजूपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर जिला धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथीगण बाके ग्राम तुर्सीपुरा हाल खाता संख्या 21के ख0न0 2022 रकवा 0.52 है0, ख0न0 2022/2408 रकवा 0.92 है0, ख0न0 2023 रकवा 0.22 है0, कुल किता 3 कलु रकवा 1.96 है0 जमाबन्दी हाल सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार जिसमें प्रार्थीगण 1/9,1/9 के खातेदार कास्तकार उक्त ख0न0के पुराने गत ख0न0 1818,1817 व1818/2336 थे। जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र कराया था। जिसका इन्तकान नम्बर 1349व 1350 सही दर्ज हुआ परन्तु नई बन्दोवस्ती जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में प्रार्थी सं02 का शुद्व नाम साधना के स्थान पर सधना गलत दर्ज हो गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के बाद दौराने बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम साधना पत्नी गुमानसिंह के स्थान पर सधना पत्नी गुमानसिंह अंकित हो गया जो शुद्व किये जाने योग्य है। बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी के नाम साधना के स्थान पर सधना किया गया है जो गलत है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 21 के ख0न0 2022 रकवा 0.52 है0, ख0न0 2022/2408 रकवा 0.92 है0, ख0न0 2023 रकवा 0.22 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.96 है0 जमाबन्दी हाल सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार जिसमें प्रार्थीगण 1/9,1/9 के खातेदार कास्तकार उक्त ख0न0के पुराने गत ख0न0 1818,1817 व

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

1818/2336 थे।तथा नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 21 में प्रार्थी संख्या 2 का नाम साधना के स्थान पर सधना व प्रार्थी संख्या 1 रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह के स्थान पर वाके ग्राम तुर्सीपुरा दर्ज है। जो गलत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहसीलदार बसेडी (राजकीय पैरोकार) ने दिनांक 11.01.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 ग्राम तुर्सीपुरा में प्रार्थीगण का नाम सधाना पत्नी गुमानसिंह रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह था लेकिन बन्दोवस्त संख्या 2066 से 2069 के खाता संख्या 24 में प्रार्थीया संख्या 2 का नाम सधना पत्नी गुमानसिंह दर्ज हो गया । जो गलत है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संम्वत् 2074 – 2077 के खाता संख्या 21 में भी प्रार्थीया संख्या 2 का नाम सधना व प्रार्थी संख्या 1 रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह के स्थान पर रेशम पुत्र सरवनसिंह दर्ज है । जो गलत है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 , मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संन् 2054 –2057व 2066–2069 , वाके ग्राम तुर्सीपुरा का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में साधना व रेशम उर्फ महेशसिहं के नाम बन्दोवस्त से पूर्व दर्ज है। लेकिन दौराने बन्दोवस्त साधना व रेशम उर्फ महेशसिहं के स्थान पर सधना व रेशम पुत्र सरवन कर दिया है जो लिपकीय भूल है जिसे मेरी राय में शुद्व किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी बाके ग्राम तुर्सीपुरा हाल खाता संख्या 21 के ख0न0 2022 रकवा 0.52 है0, ख0न0 2022/2408 रकवा 0.92 है0, ख0न0 2023 रकवा 0.22 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.96 है0 बाके ग्रम तुर्सीपुरा में जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में साधना पत्नी गुमानसिंह व रेशम उर्फ महेशसिंह पुत्र सरवनसिंह अंकित किया जावे। तद्नुसार रिकार्ड में अमल किया जावे।

आज दिनांक 29.01.2021 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी
बसेडी